

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ।

(जिला बस्ती राज्य उत्तर प्रदेश)

पत्रसंख्या बेसिक-4/ 1861-62, /2014-15 दिनांक 20-06-2014
सेवा में,

प्रबन्धक,

कपिल गंगा पब्लिक स्कूल, शुगर मिल रोड, बस्ती

विषय-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके तारीख- 17.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं कपिल गंगा पब्लिक स्कूल, शुगर मिल रोड, बस्ती को तारीख-31.03.2014 से तारीख 30 जून 2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतराँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्निधियों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

(क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र-उपलब्ध है।

Principal
Kapil Ganga Public School
Basti

Principal
Kapil Ganga Public School
Basti

Manager
Kapil Ganga Public School
Basti

Manager
Kapil Ganga Public School
Basti

- (ख) कुल निर्मित क्षेत्र ---
 (ग) कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल- है ।
 (घ) कक्षाओं की संख्या- पॉच कमरा ।
 (ङ) प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष-है ।
 (च) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- है ।
 (छ) पेयजल सुविधा- है ।
 (ज) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- है ।
 (झ) बाधारहित पहुँच है ।
 अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/
 पुस्तकालय की उपलब्धता-है ।
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
 - विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 - विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 - स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 - विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 - आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक- BST - E-01 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करे या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
 - सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
 - संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 - उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय

डा० (धर्मवीर सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बस्ती।

पृ०सं० बेसिक-4 /

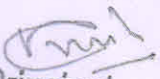
/2014-15 दिनांक उक्त प्रकार।

प्रतिलिपि - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


Principal
 Kapil Ganga Public School
 Basti

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 बस्ती।


Manager
 Kapil Ganga Public School
 Basti


Principal
 Kapil Ganga Public School
 Basti


Manager
 Kapil Ganga Public School
 Basti



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

असम शिक्षा, विद्या भवन, मिशनरोंज, कोलकाता-226 007
ई-मेल: upesapo@gmail.com फ़ोन: 0822-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उपप्र
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 8 मार्च, 2022

पत्रांक: रा0प0नि0 / 5654 / 2021-22 / लखनऊ

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ- कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों का भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वारताविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वस्तिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-B-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के निर्देश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-सकतवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांक: रा0प0नि0 /
प्रतिलिपि

/ 2021-22 / लखनऊ / तददिनांक

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइबर-एफ)
3. जिला वस्तिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal
Kapil Ganga Public School
Basti

Manager
Kapil Ganga Public School
Basti